भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 265

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया)

ग्रामीण निवेशकों के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम

265. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण निवेशकों के लिए कोई जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम चला रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों पर कुल कितना व्यय किया गया है;
(ग) सरकार द्वारा आईईपीएफ खाते से दावेदारों के लिए दावा-प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि खाते में अंतरित शेयरों और लाभांश का ब्यौरा क्या है और शेयरों की वर्तमान कुल संख्या और इसका बाजार मूल्य तथा खाते में कुछ लाभांश की राशि कितनी है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): जी हां। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिदेश के एक भाग के रूप में, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) भागीदार संगठनों जैसे सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) आदि के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) आयोजित करता है।

ये कार्यक्रम इन भागीदार संगठनों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चरण - I, II, III शहरों/गांवों आदि में उनकी उपस्थिति के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भी विभिन्न माध्यमों से ग्रामीण निवेशकों सहित आम जनता के बीच निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह एक्सचेंज और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) के साथ-साथ निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, सेबी, वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों अर्थात् आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के साथ मिलकर राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) के सह-प्रवर्तक हैं। सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक धारा (8) कंपनी के रूप में बुनियादी वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और देश में ग्रामीण लोगों सहित आम जनता के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त सामग्री विकसित करने के लिए एनसीएफई की स्थापना की गई है।

वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान जागरूकता कार्यकलापों पर कुल व्यय अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ग): विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016" के तहत नियमों में संशोधन करके दावा निपटान प्रक्रिया में एक प्रक्रिया पुन: इंजीनियरिंग की गई थी। मुख्य परिवर्तन नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) पैन आधारित सत्यापन की विशेषताओं वाला एक नया सरलीकृत वेब आधारित ई-प्ररूप आईईपीएफ-5 कार्यान्वित किया गया है।

(ii) कंपनियों द्वारा ई-प्ररूप आईईपीएफ-5 पर कार्रवाई करने और प्राधिकरण को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को ऑनलाइन कर दिया गया है।

(iii) शेयर प्रमाणपत्रों के पारेषण और हानि के दावों सहित, दावों के प्रसंस्करण के लिए मानक दस्तावेज सूची और मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुसूचियों के माध्यम से निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण नियमित रूप से उद्योग, कंपनियों और निवेशकों से सुझाव आमंत्रित करता है ताकि प्रक्रिया को अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके और तदनुसार नियमों में छूट और संशोधन किए जा सकें।

(घ): पिछले चार वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि खाते में अंतरित शेयरों और लाभांश के ब्यौरे के साथ-साथ शेयरों की वर्तमान कुल संख्या और इसका बाजार मूल्य तथा खाते में उपलब्ध कुल लाभांश अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

******

अनुलग्नक -I

दिनांक 05.02.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(i) आईईपीएफए द्वारा चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**राशि (करोड़ रु में)**
1	2019-2020	11.08
2	2020-2021	6.36
3	2021-2022	10.47
4	2022-2023	8.45
5	2023-2024*	3.21

*31 दिसंबर, 2023 तक का अनंतिम डाटा।

(ii) सेबी द्वारा चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रु में)
1	2019-2020	11.84
2	2020-2021	28.84
3	2021-2022	6.81
4	2022-2023	11.93
5	2023-2024*	2.29

*एमआईआईएस (एक्सचेंज और डिपॉजिटरी) के समन्वय में सेबी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबंध में 31 दिसंबर, 2023 तक का डाटा

अनुलग्नक -II

दिनांक 05.02.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले चार वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि खाते में अंतरित लाभांश और शेयरों सहित राशि का विवरण।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित अदावाकृत लाभांश सहित राशि (करोड़ रु में)	वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयर (संख्या में)
1	2019-2020	1887.17	15,08,83,796
2	2020-2021	505.67	12,97,92,080
3	2021-2022	446.22	14,18,96,190
4	2022-2023	452.26	16,16,64,998
5	2023-2024*	278.11	13,37,54,477

*31 दिसंबर, 2023 तक का अनंतिम डाटा।

निधि में शेयरों और राशि का अंतरण और दावेदारों को उनकी वापसी एक सतत प्रक्रिया है। 31 दिसंबर, 2023 को, फंड के साथ शेयरों की कुल संख्या 1,44,63,50,921 है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 65,599.25 करोड़ रुपए है। शेयरों के बाजार मूल्य में स्टॉक सूचकांकों के आधार पर उतार-चढ़ाव आता है। फंड के साथ उपलब्ध लाभांश सहित कुल राशि 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति को 5,866.22 करोड़ रुपए है।

****